सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/99 दर्ज तिथिः–11.01.2021

1. केशाराम पुत्र धुकलाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी

.............वादी

बनाम

1. सुरताराम पुत्र धुकलाराम
2. मंगलाराम पुत्र धुकलाराम
3. हणुताराम पुत्र धुकलाराम
4. हीराराम पुत्र धुकलाराम
5. रायचन्द पुत्र मुगला
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी

......................असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैंक गुड़ामालानी
7. तहसीलदार गुडामालानी

..............तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5ः–श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 4ः–श्री बाबुलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः– 24.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 8 / 1 / 45—09 बीघा, 58 / 1 / 44—09 बीघा, 68 / 0—09 बीघा, 70 / 41—02 बीघा वाके ग्राम मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है।

2. तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 24.04.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1266 दिनांक 30.07.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1266 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 25.07.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1881—1886 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1881—1886 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

बनाया गया है एवं पटवारी एवं आईएलआर द्वारा तहसील कार्यालय में बैठकर तैयार की गई। इस हेतु प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के नियम—18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाए जाने का निवेदन किया गया। उक्त आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के दौरान सभी पक्षकारान उपस्थित रहे तथा तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा मौके पर ही तैयार किया गया। प्रकरण में नजरी नक्शा निम्न प्रकार है—

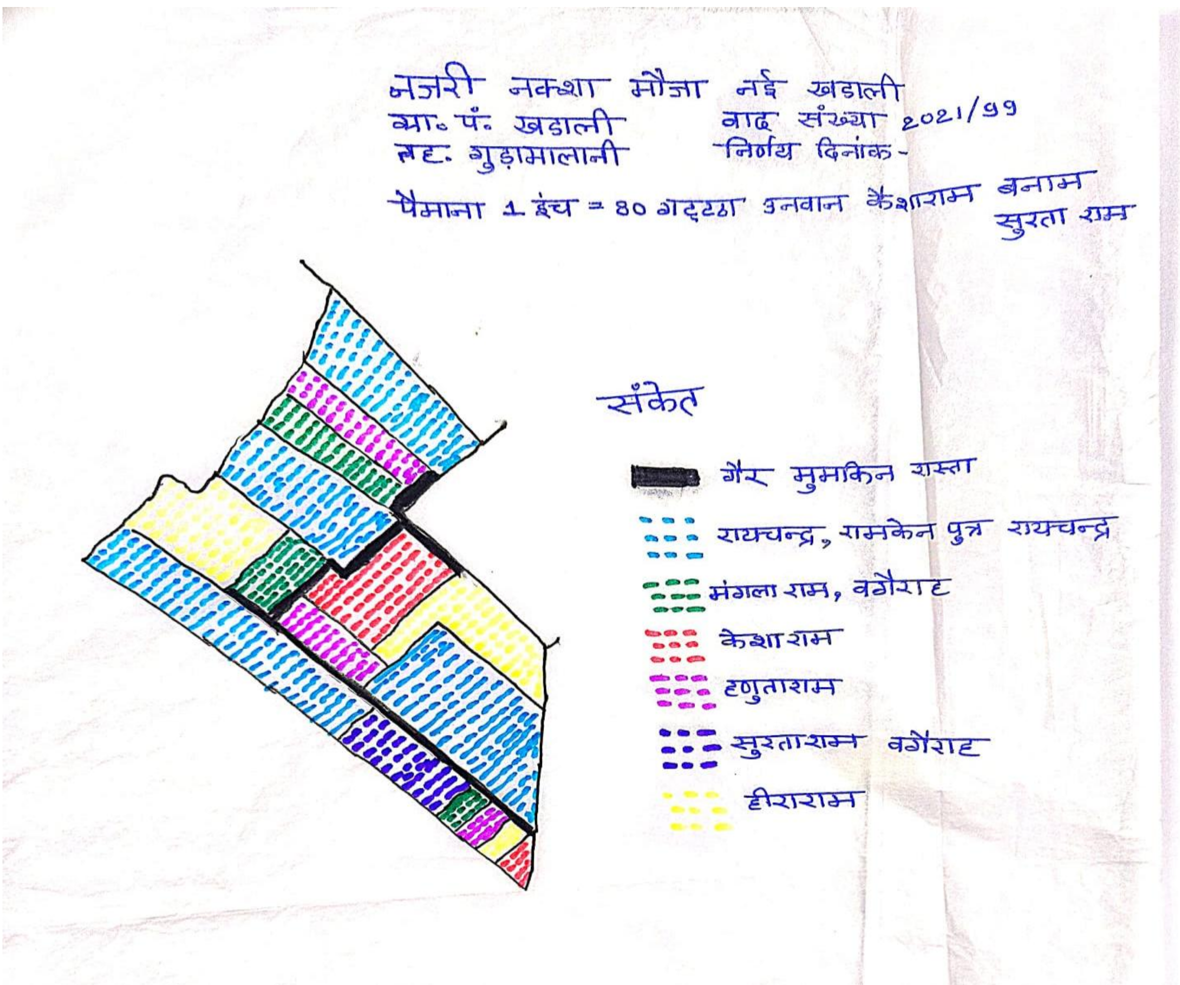

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

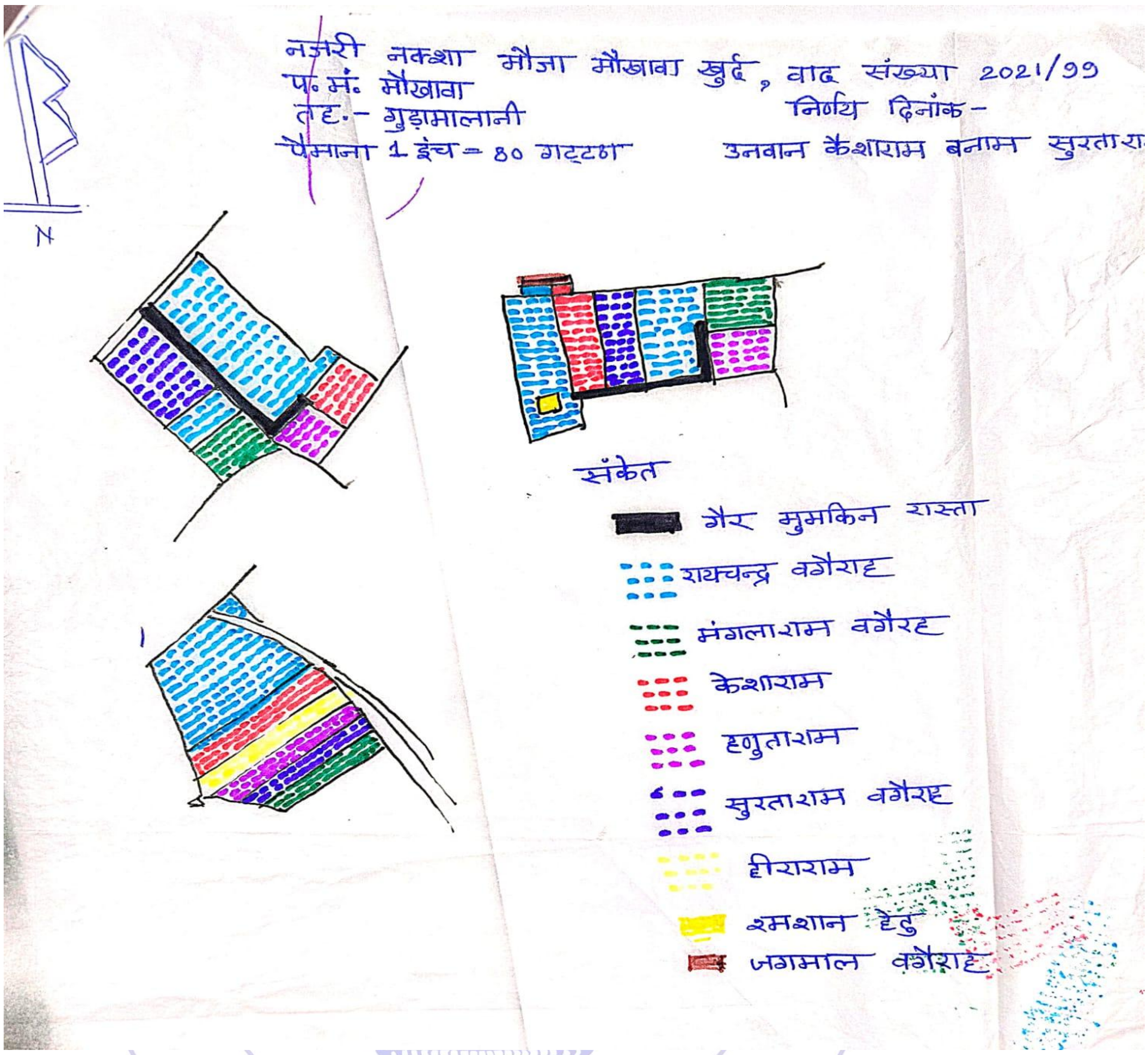

सत्यमेव जयते

5. प्रकरण में तहसीलदार की उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति का निस्तारण करते हुए स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के समय उभय पक्षकारान उपस्थित रहे तथा मौके पर संशोधित प्रस्ताव का नजरी नक्शा बनाया गया। उक्त संशोधित नजरी नक्शा पर उभय पक्षकारान को न्यायालय में आगामी तारीख पेशी पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। उक्त संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर उभय पक्षकारान की समझाईश की गई तथा उभय पक्षकारान द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई।

6. प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट तथा पीठासीन अधिकारी के समक्ष तैयार किया गया संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 व 2075—2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

390/8/7.2898 है0, 58/1/7.1953 है0, 68/0.0728 है0, 70/6.6530 है0, 57/0.1214 है0 वाके ग्राम मौखावा खुर्द एवं आराजी खसरा संख्या 49/21.3674 है0 मौजा नई खडाली पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 25.07.2025 के आधार पर पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में उभय पक्षकारों की दो राजस्व गांवों में आराजी अवस्थित है। उक्त आराजी में से खसरा संख्या 70 मौजा मौखावा एक मुख्य जिला सड़क मार्ग पर अवस्थित है। चूंकि उक्त भूमि कीमती भूमि है। इस कारण उक्त खसरा संख्या 70 मौजा मौखावा में सभी सहखातेदारों को सड़क पर समान चौड़ाई में आराजी विभाजन में दी गई है। इसी प्रकार खसरा संख्या 390/8 व 58/1 मौजा मौखावा में सभी सहखातेदारों के मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए कब्जा अनुसार तथा उक्त खसरा संख्या 8/1 मौजा मौखावा में राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार रकबा तथा मौके पर कब्जा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्तावित किया गया है। अंत में खसरा संख्या 49 मौजा खडाली में सभी सहखातेदारों के मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए कब्जा अनुसार तथा उक्त खसरा संख्या 49 मौजा खडाली में राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार रकबा तथा मौके पर कब्जा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्तावित किया गया है। साथ ही हस्तगत प्रकरण के पक्षकारों तथा एक अन्य तृतीय पक्षकार के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद की मुतनाजा आराजी में भी सभी खातेदारान को हिस्से अनुसार आराजी विभाजन में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम—1955 के नियम—20 के द्वारा प्रावधित सिद्धान्तों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में विभाजन प्रस्तावित किया गया है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव दिनांक 25.07.2025 (कुर्रेजात रिपोर्ट) एवं व नजरी नक्शा पर मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

8. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

11. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या संख्या 390/8/7.2898 है0, 58/1/7.1953 है0, 68/0.0728 है0, 70/6.6530 है0, 57/0.1214 है0 वाके ग्राम मौखावा खुर्द एवं आराजी खसरा संख्या 49/21.3674 है0 मौजा नई खडाली पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं व नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस (दिनांक 25.07.2025) नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा (है0 में)	किस्म
रायचन्द्र पुत्र मुगला जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता SBI गुड़ामालानी	पूर्ण	मौखावा खुर्द	390 / 8	3.1940	बा0दो0
			390 / 8	0.3700	बा0दो0
			68	0.0728	बा0दो0
			70	3.2901	बा0सो0
			58 / 1	1.7361	बा0दो0
			58 / 1	1.7400	बा0दो0
			57	0.0304	गैर मु0
कुल किता 07 रकबा 10.4334 है0					
	पूर्ण		390 / 8	0.7128	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

केशाराम पुत्र धुंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार		मौखावा खुर्द	70	0.6726	बा0दो0
			57	0.0303	गै0मु0
			58/1	0.6710	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 2.0867 है0					
हणुताराम पुत्र धुंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मौखावा खुर्द	390/8	0.7128	बा0दो0
			70	0.6726	बा0दो0
			58/1	0.7013	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
हीराराम पुत्र धुंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन PNB(पूर्ण खाता) शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	मौखावा खुर्द	390/8	0.7128	बा0दो0
			70	0.6726	बा0दो0
			58/1	0.3506	बा0दो0
			58/1	0.3507	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
सुरताराम पुत्र धुंकलाराम	1/4	मौखावा खुर्द	390/8 70 58/1	0.7128 0.6726 0.7013	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
जगदीश विश्नोई पुत्र सुरताराम	1/4				
मोहनराम विश्नोई पुत्र सुरताराम	1/4				
छोगाराम पुत्र सुरताराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	1/4				
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
मंगलाराम पुत्र धुंकलाराम	1/5	मौखावा खुर्द	390/8 70 58/1	0.7128 0.6726 0.7013	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
बाबुराम पुत्र मंगलाराम	1/5				
किशनाराम पुत्र मंगलाराम	1/5				
मनोहरलाल पुत्र मंगलाराम	1/5				
भीखाराम पुत्र मंगलाराम	1/5				
जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन मंगलाराम, बाबुराम, किशनाराम, मनोहरलाल, भीखाराम पूर्ण खाता ICICI बैंक शाखा रामजी का गोल					
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
जगमाल पुत्र बींजाराम	1/4	मौखावा खुर्द	57	0.0607	गै0 मु0
धीमाराम पुत्र बींजाराम	1/4				
हरीराम पुत्र बींजाराम	1/4				
जमना पत्नी बींजाराम	1/4				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 0.0607 है0					
श्मशान हेतु	पूर्ण	मौखावा खुर्द	58/1	0.0811	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0811 है0					
गैर मुमकिन रास्ता	पूर्ण	मौखावा खुर्द	58/1 390/8	0.1619 0.1618	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.3237 है0					
रायचंद पुत्र मुगला रामकेन पुत्र रायचंद रामकेन रहन ICICI बैक सीलु कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	2/3 1/3	नई खडाली	49 49 49 49	1.9425 2.1043 2.9137 3.5410	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 10.5015 है0					
मंगला पुत्र धोंकलाराम	1/5				
भीखाराम पुत्र मंगलाराम बाबुराम पुत्र मंगलाराम किशनाराम पुत्र मंगलाराम मनोहरलाल पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खाते0 रहन ICICI बैक रामजी का गोल (मनोहरलाल के रहन नहीं)	4/5	नई खडाली	49 49 49	0.8903 0.9187 0.2913	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					
सुरताराम पुत्र धोकलाराम	1/4				
मोहनराम, जगदीश, छोगाराम पिता सुरताराम कौम विश्नोई सा0 देह मौखावा खुर्द रहन केवल सुरताराम के पंजाब नेशनल बैंक गुड़ामालानी	3/4	नई खडाली	49 49	1.0198 1.0805	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 2.1003 है0					
हणुताराम पुत्र धोंकलाराम कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	संपूर्ण	नई खडाली	49 49 49	0.8903 0.9187 0.2913	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

केशाराम पुत्र धोंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	संपूर्ण	नई खडाली	49 49 49	0.6475 1.1615 0.2913	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					
हीराराम पुत्र धोंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	संपूर्ण	नई खडाली	49 49 49	0.8903 0.9187 0.2913	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					
रास्ते हेतु भूमि	पूर्ण	नई खडाली	49	0.3644	गैर मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.3644 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/99 दर्ज तिथिः–11.01.2021

1. केशाराम पुत्र धुकलाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी

..............वादी

बनाम

1. सुरताराम पुत्र धुकलाराम
2. मंगलाराम पुत्र धुकलाराम
3. हणुताराम पुत्र धुकलाराम
4. हीराराम पुत्र धुकलाराम
5. रायचन्द पुत्र मुगला
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी

.......................असल प्रतिवादी

6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैंक गुड़ामालानी
7. तहसीलदार गुडामालानी

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5ः–श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 4ः–श्री बाबुलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या संख्या 390/8/7.2898 है0, 58/1/7.1953 है0, 68/0.0728 है0, 70/6.6530 है0, 57/0.1214 है0 वाके ग्राम मौखावा खुर्द एवं आराजी खसरा संख्या 49/21.3674 है0 मौजा नई खडाली पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा मय नक्शा–ट्रेस (दिनांक 25.07.2025) नीचे अंकित तालिकानुसार दावा डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा (है0 में)	किस्म
रायचन्द्र पुत्र मुगला जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता SBI गुड़ामालानी	पूर्ण	मौखावा खुर्द	390 / 8	3.1940	बा0दो0
			390 / 8	0.3700	बा0दो0
			68	0.0728	बा0दो0
			70	3.2901	बा0सो0
			58 / 1	1.7361	बा0दो0
			58 / 1	1.7400	बा0दो0
			57	0.0304	गैर मु0
कुल किता 07 रकबा 10.4334 है0					
केशाराम पुत्र धुंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मौखावा खुर्द	390 / 8	0.7128	बा0दो0
			70	0.6726	बा0दो0
			57	0.0303	गै0मु0
			58 / 1	0.6710	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 2.0867 है0					
हणुताराम पुत्र धुंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मौखावा खुर्द	390 / 8	0.7128	बा0दो0
			70	0.6726	बा0दो0
			58 / 1	0.7013	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
हीराराम पुत्र धुंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन PNB(पूर्ण खाता) शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	मौखावा खुर्द	390 / 8	0.7128	बा0दो0
			70	0.6726	बा0दो0
			58 / 1	0.3506	बा0दो0
			58 / 1	0.3507	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
सुरताराम पुत्र धुंकलाराम	1 / 4		390 / 8	0.7128	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

जगदीश विश्नोई पुत्र सुरताराम	1/4	मौखावा खुर्द	70 58/1	0.6726 0.7013	बा0दो0 बा0दो0
मोहनराम विश्नोई पुत्र सुरताराम	1/4				
छोगाराम पुत्र सुरताराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	1/4				
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
मंगलाराम पुत्र धुंकलाराम	1/5	मौखावा खुर्द	390/8 70 58/1	0.7128 0.6726 0.7013	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
बाबुराम पुत्र मंगलाराम	1/5				
किशनाराम पुत्र मंगलाराम	1/5				
मनोहरलाल पुत्र मंगलाराम	1/5				
भीखाराम पुत्र मंगलाराम	1/5				
जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन मंगलाराम, बाबुराम, किशनाराम, मनोहरलाल, भीखाराम पूर्ण खाता ICICI बैंक शाखा रामजी का गोल					
कुल किता 03 रकबा 2.0867 है0					
जगमाल पुत्र बींजाराम	1/4	मौखावा खुर्द	57	0.0607	गै0 मु0
धीमाराम पुत्र बींजाराम	1/4				
हरीराम पुत्र बींजाराम	1/4				
जमना पत्नी बींजाराम	1/4				
जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 0.0607 है0					
श्मशान हेतु	पूर्ण	मौखावा खुर्द	58/1	0.0811	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0811 है0					
गैर मुमकिन रास्ता	पूर्ण	मौखावा खुर्द	58/1 390/8	0.1619 0.1618	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.3237 है0					
रायचंद पुत्र मुगला रामकेन पुत्र रायचंद रामकेन रहन ICICI बैक सीलु कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	2/3 1/3	नई खडाली	49 49 49 49	1.9425 2.1043 2.9137 3.5410	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 10.5015 है0					
मंगला पुत्र धोंकलाराम	1/5	नई खडाली	49 49	0.8903 0.9187	बा0सो0 बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

भीखाराम पुत्र मंगलाराम बाबुराम पुत्र मंगलाराम किशनाराम पुत्र मंगलाराम मनोहरलाल पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खाते0 रहन ICICI बैक रामजी का गोल (मनोहरलाल के रहन नहीं)	4 / 5		49	0.2913	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					
सुरताराम पुत्र धोकलाराम	1 / 4	नई खडाली	49 49	1.0198 1.0805	बा0सो0 बा0सो0
मोहनराम, जगदीश, छोगाराम पिता सुरताराम कौम विश्नोई सा0 देह मौखावा खुर्द रहन केवल सुरताराम के पंजाब नेशनल बैंक गुड़ामालानी	3 / 4				
कुल किता 02 रकबा 2.1003 है0					
हणुताराम पुत्र धोंकलाराम कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	संपूर्ण	नई खडाली	49 49 49	0.8903 0.9187 0.2913	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					
केशाराम पुत्र धोंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	संपूर्ण	नई खडाली	49 49 49	0.6475 1.1615 0.2913	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					
हीराराम पुत्र धोंकलाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	संपूर्ण	नई खडाली	49 49 49	0.8903 0.9187 0.2913	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1003 है0					
रास्ते हेतु भूमि	पूर्ण	नई खडाली	49	0.3644	गैर मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.3644 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested